12727
18/11/08

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

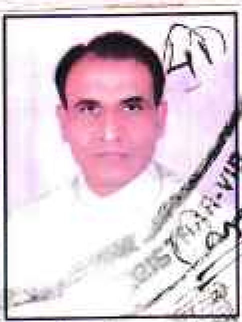

दिल्ली DELHI DL04/054/621265 DEVI RAM

F 895077

न्यास-पत्र (TRUST DEED)

"माता रिसालो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट"

मै, देवी राम सुपुत्र स्व. श्री जिले सिंह खत्री, निवासी 957, पाना पपोसियान नरेला, दिल्ली -110040, संस्थापक-मुख्य न्यासी, आज दिनांक 18.11.2008 को न्यास के इस घोषणा पत्र का निष्पादन कर रहा हूं।

श्रीमती रिसालो देवी के आशीर्वाद तथा प्रेरणा से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुखशांति, सद्भाव, सदाचार आदि उत्तम व आदर्श मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु एक ट्रस्ट की स्थापना की जाये। इसलिए उपरोक्त न्यास की स्थापना कर इसके निमित प्रारम्भ में 11,000/- रूपये (ग्यारह हजार मात्र) ट्रस्ट को प्रदान कर रहा हूं।

न्यास का नाम:- "माता रिसालो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट"

कार्यालय:- 957, पाना पपोसियान, नरेला, दिल्ली-110040

2470 100x4 = 400 27 NOV 2008

Devi ... Khatri

27 NOV 2008

Through

S/O Zile Singh

Khatri

Narela

SEAL OF THE

DISTT. ...

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
दिल्ली DELHI
F 895078

कार्यक्षेत्र - भारत एवं सम्पूर्ण विश्व

रजिस्टर्ड कार्यालय सहित जहां भी ट्रस्ट का कार्यालय खोला जायेगा वह ट्रस्ट की सम्पत्ति न समझी जाये।

ट्रस्ट का गठन-

1. देवी राम सुपुत्र स्व. श्री जिले सिंह खत्री, निवासी 957, पाना पपोसियान, नरेला, दिल्ली-110040 ......संस्थापक/चैयरमैन/मुख्य न्यासी
2. देवेन्द्र सिंह सुपुत्र स्व. श्री जिले सिंह खत्री, निवासी 1999, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली-110040, सचिव... न्यासी
3. पवन कुमार सुपुत्र स्व. श्री भीम सिंह मान, निवासी 440, गांव व डा. खेड़ा खुर्द, दिल्ली... कोषाध्यक्ष... न्यासी
4. विजेन्द्र सुपुत्र स्व. श्री जिले सिंह खत्री, निवसी 957, पाना पपोसियान, नरेला, दिल्ली-110040... सदस्य ... न्यासी
5. रमेशचन्द्र शास्त्री सुपुत्र श्री गंगाधर, निवासी ए-3/51/1, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली... सदस्य... न्यासी

RegNo. 4037 Date 18/11/2008

Deed Related Detail

Deed Name TRUST	TRUST (MOVABLE)	
Land Detail		
Tehsil/Sub Tehsil Sub Registrar VI B	Area of Building 0	
Village/City Narela	Building Type	
Place (Segment) Narela		
Property Type Residential		
Area of Property 0.00	0.00	0.00
Money Related Detail		
Consideration Value 0.00 Rupees	Stamp Duty Paid 400.00 Rupees	
Value of Registration Fee 3.00 Rupees	Pasting Fee 1.00 Ruppes	

This document of TRUST TRUST (MOVABLE)

Presented by: Sh/Smt.	S/o. W/o	R/o
Devi Ram	Jile Singh	957 Pana Paposian Narela Delhi

in the office of the Sub Registrar, Delhi this 18/11/2008 day Tuesday
between the hours of

Signature of Presenter

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar VI B
Delhi/New Delhi

Executed and presented by Shri /Ms. Devi Ram

and Shri / Ms. n/a

Who is/are identified by Shri/Smt/Km. Jai Kishan S/o W/o D/o Man Singh R/o 264 Holambi Kalan Delhi

and Shri/Smt./Km Laxman singh S/o W/o D/o Man Singh R/o 264 Holambi Kalan Delhi

(Marginal Witness). Witness No. II is known to me.
Contents of the document explained to the parties who understand the conditions and admit them as correct.
Certified that the left (or Right, as the case may be) hand thumb impression of the executant has been affixed in my presence

Date 27/11/2008

SEAL OF THE ... DISTT. NORTH-WEST ...

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar VI B
Delhi/New Delhi

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI F 895079

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं लक्ष्य --

ट्रस्ट के लक्ष्य एवं उद्देश्य जिनकी प्राप्ति के लिए ट्रस्ट की स्थापना की गयी है वे इस प्रकार से है -

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर सीनियर सैकेन्डरी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, उनका प्रबन्ध करना, उनका अधिग्रहण करना। आवासीय विद्यालय, महाविद्यालयों की स्थापना करना और उनका संचालन करना।
2. उच्च शिक्षा के व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान जैसे- विधि, चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों, विशेषकर आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और उनका प्रबन्धन करना।
3. भारत सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर पूर्ण विश्वविद्यालय और डीमड विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और ऐसे विश्वविद्यालयों के समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करना।

Dun

2470 10

B

7 NOV 2008

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
दिल्ली DELHI
F 895080

4. न्यास द्वारा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, मोबाइल होस्पिटल, एम्बूलेंस और चिकित्सा संस्थान आयुवेर्दिक, होमियोपैथिक, एलोपैथिक, सर्जरी, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, न्यूटरोपैथी इत्यादि की स्थापना/संचालन करना। अन्य चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा, दवाईया मुहैया कराना और इन संस्थानों की हर प्रकार से मदद करना।
5. वद्ध कल्याण आश्रम, बाल कल्याण आश्रम, नारी कल्याण आश्रमों की स्थापना करना और उनका संचालन करना, योग एवं आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना करना और उनका प्रबन्धन करना।
6. राष्ट्र के संकट के समय जैसे- बाढ, भूकम्प, महामारी आदि के समय सरकार व समाज की यथा सम्भव सहायता करना।
7. सम्पूर्ण भारत एवं विश्व में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को दृष्टिगत रखते हुए मानवजाति की यथा सम्भव सहायता करना
8. सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं विश्व में मानवीय मूल्यों के प्रचार-प्रसार करना। भारतीय संस्कति के आध्यात्मिक विचारों को प्रसारित करने के लिए पत्र-पत्रिकायें, पुस्तक आदि साहित्य का स्वयं प्रकाशन करना।

Dun

2470 10

C

Devi [illegible] Khachi

[illegible signature]

Zele A

Khachi

2 917

[illegible]

9. अच्छे सद्‌विचारों को जन-जन तक पहुंचाना। इस कार्य के लिए अच्छे वक्ताओं, प्रचारकों की नियुक्ति करना। देश-विदेश में प्रचारकों व उपदेशकों को भेजना व आर्थिक दष्टि से उनकी सहायता करना।
10. विदेशों में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों की जानकारी के लिए विदेशों में प्रतिनिधि मंडलों को प्रयोजित करना और इस अध्ययन से अर्जित ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भारत के शिक्षण संस्थानों में क्रियान्वित करना।
11. समाज के मेधावी एवं गरीब बालक-बालिकाओं की शिक्षा हेतु उनको छात्रवति देना व उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेजना उनकी आर्थिक सहायता करना।
12. सभी सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले साहित्यकारों, शिक्षाविदो, पत्रकारों, समाजसेवियों, चिकित्सकों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करना। खेलकूद के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा वाले खिलाडियों को प्रोत्साहित करना व सम्मानित करना।
13. सरकारी अर्धसरकारी या/और गैर सरकारी संगठनों व अन्तर्राष्ट्रीय निकायों, बैंक या अन्य कानूनी संस्थान अथवा किसी व्यक्ति विशेष से वित्तीय व गैर वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
14. न्यास के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए दान, अनुदान, इनाम व चल व अचल सम्पत्ति के रूप में अन्य मदद प्राप्त करना।
15. न्यास के नाम जमीन, भवन आदि अधिग्रहण करना, खरीदना या किराये पर लेना देना व स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर उसके ऊपर आवश्यकतानुसार निर्माण करना।

ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी उपक्रमों, अनुदान, अंशदान, उपहार, ऋण आदि लेना चल-अचल सम्पत्ति को दान के रूप में स्वीकार करना।

Dun

<u>ट्रस्ट के नियम तथा उपनियम -</u>

प्रबन्ध समिति का गठन इस न्यास मंडल में छह आजीवन ट्रस्टी होंगे और छह ट्रस्टियों की प्रबन्ध समिति होगी जो इस प्रकार है -

1- चैयरमैन- एक

2- सचिव एक

3- कोषाध्यक्ष एक

4- सदस्य तीन

न्यासियों को प्रबन्धकारिणी में ट्रस्ट की सदस्यता सम्बन्धी नियम - इस ट्रस्ट में वर्तमान में चार ट्रस्टी (न्यासी) बनाये गये है, भविष्य में आवश्यकतानुसार कुल 7 ट्रस्टी बनाये जा सकते है। नये ट्रस्टियों की सदस्यता के लिए प्रबन्ध समिति स्वीकृति प्रदान करेगी। नये ट्रस्टी को लिखित आवेदन पत्र देना होगा और उसको ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति में नया ट्रस्टी बनाने का प्रस्ताव लाया जायेगा। प्रबन्ध समिति में 2/3 बहुमत से नया ट्रस्टी बनाया जा सकेगा।

वर्तमान में छह ट्रस्टियों में से कोई ट्रस्टी अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है अथवा अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा तो उसको ट्रस्टी बनाया जायेगा। यह परम्परा सदा चलती रहेगी। यदि कोई ट्रस्टी अपना उत्तराधिकारी घोषित नही करता है तो ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति 2/3 बहुमत से उसके स्थान पर नया ट्रस्टी बना सकती है।

किसी भी विवाद के निपटान के लिए दिल्ली न्यायालय के ही का आदेश मान्य होंगे।

<u>प्रबन्ध समिति बैठक- कोरम एवं सूचना सम्बन्धी नियम-</u>

न्यास की प्रबन्ध समिति की बैठक 6 माह में अवश्य होगी। बैठक का कोरम 2/3 होगा। प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करने के लिए सदैव सात दिन के भीतर सूचना पदाधिकारी एवं सदस्यों को दी जायेगी।

<u>प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>

1. कर्मचारियों की नियुक्ति तथा विमुक्ति करना।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी उपक्रमों की आय-व्यय स्वीकृत करना।

3. ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति को सुरक्षित रखना।
4. नये ट्रस्टियों को स्वीकृति प्रदान करना।
5. ट्रस्ट द्वारा संचालित कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकि कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज के लिए पृथक-पृथक प्रबन्ध समितियों का गठन करना। यथा समय परिवर्तन संशोधन करना। आचार संहिता को स्वीकृत करना।
6. ट्रस्ट के उद्‌देश्यों को कार्यरूप देने के लिए दान लेना, व्यक्तिगत ऋण लेना, बैंकिग उपक्रमों से ऋण लेना आदि।
7. ट्रस्ट के लिए चल-अचल सम्पत्ति के लिए क्रय-विक्रय करना।
8. प्रबन्ध समिति समय-समय पर विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन कर सकेंगी। इस प्रकार की कमेटी के सदस्यों की संख्या, कार्यकाल, नियम और उपनियमों का निर्धारण प्रबन्ध समिति द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा।
9. न्यास का पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत कराने आयकर कार्यालय में 80 जी के अन्तर्गत पंजीकृत कराने तथा अन्य कानूनी कार्यवाही करने के लिए संस्थापक/चैयरमैन हस्ताक्षर कर सकेंगें।

<u>ट्रस्ट प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य -</u>

<u>चैयरमैन-</u>

क) प्रबन्ध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

ख) प्रबन्ध समिति बैठकों में किसी विषय पर मत समान हो तो उस स्थिति में चैयरमैन का मत निर्णायक होगा। विवादास्पद स्थिति में द्विपक्षीय समान मत होने पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार चैयरमैन को होगा तथा यह निर्णय सर्वमान्य होगा, जिसे न्यासी चुनौती नहीं दे सकते।

ग) प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराना।

घ) चैयरमैन ट्रस्ट के कार्य के लिए एक लाख रुपये किसी भी मद में खर्च कर सकते हैं। इसकी सूचना आगामी बैठक में देनी होगी।

Dun

ड) चैयरमैन ट्रस्ट के सभी कार्यो और सभी विषयों के समुचित निपटारे के लिए उत्तरदायी होंगे। वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इन नियमों द्वारा तथा ट्रस्ट की समिति द्वारा उन्हें दी जायेगी।

च) चैयरमैन ट्रस्ट की ओर से सरकारी/गैर सरकारी सभी पत्र व्यवहार करने के लिए अधिकृत तथा उत्तरदायी होगा।

छ) चैयरमैन को संचालित संस्थानों एवं अन्य कार्यकलापों में तदर्थ आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। कर्मचारियों की नियुक्ति/विमुक्ति सम्बन्धित पत्र पर भी चैयरमैन के हस्ताक्षर होंगे।

ज) चैयरमैन ट्रस्ट की सभी पंजिकाओं को प्रमाणित और अद्भतन स्थिति में रखेगा। वह नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सभी रिपोर्ट, पत्रावलियां पत्रादि और अन्य दस्तावेज तैयार करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।

झ) चैयरमैन की अनुपस्थिति, रूग्णता आदि अवस्था में उनके स्थान पर उनके द्वारा लिखित निर्धारित-न्यासी उनके कार्यो को करने के लिए विशेष अवधि हेतु अधिकृत होंगे।

सचिव -

क- प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक बुलाना, स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार सूचना भेजना। कार्यवाही लिखना।

ख-सभी कार्यो का लेखा-जोखा रखना।

ग-ट्रस्ट के कार्यो के लिए पचास हजार रुपये एक बार स्वेच्छा से आवश्यकतानुसार व्यय कर सकते है। बाद में प्रबन्ध समिति की बैठक में सूचना देनी होगी।

घ- नियमों तथा प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।

कोषाध्यक्ष -

ट्रस्ट की धनराधि का हिसाब रखना। ट्रस्ट के लेख जिसमें कैश बुक, लेखा बही, वेतन पंजिका, रसीदों और वाउचरों को तैयार करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा। प्रतिवर्ष ट्रस्ट के द्वारा संचालित सभी उपक्रमों का आय-व्यय बजट प्रबन्ध समिति में प्रस्तुत करना और पास करवाना। ट्रस्ट के कार्यो के लिए दो लाख रुपये तक अपने

पास रख सकते है। ट्रस्ट की धनराशियों के समय पर और उचित तरीके से बैंक में जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सदस्यगण-

ट्रस्ट के कार्य के लिए बैठकों में अच्छे, सुझाव देना तथा प्रस्तावों को स्वीकृति देंगे। समय-समय पर प्रबन्ध समिति द्वारा निश्चित कर्तव्यों एव उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।

वित्तीय वर्ष-

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से प्रारम्भ होगा और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगा।

बैंक व्यवस्था-

ट्रस्ट की धनराशि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा और बैंक खातों का परिचालन, चैयरमैन, सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। धनराशि इनमें से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाली जा सकेगी।

संस्थापक, न्यासियों की सहमति से आपातकाल में न्यास को भंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण लेनदारी व देनदारी को निपटाने के बाद बची न्यास की जो चल-अचल सम्पत्ति होगी, उसे वह किसी समान उद्देश्यों वाली न्यास/संस्था में ही लगा सकता है।

विशेष परिस्थितियों में न्यास एवं न्यास की चल-अचल सम्पत्ति को पूर्ण या आंशिक रूप में स्थानांतरित करने का अधिकार न्यास को होगा परन्तु यह स्थानांतरण या हस्तांतरण न्यास के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतू ही हो सकेगा।

यह स्पष्ट घोषणा की जाती है कि न्यास की समस्त चल अचल सम्पति का कोई भी अंश न्यास के उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नही किया जायेगा।

संस्थापक ने ऊपर वर्णित तिथि, मास एंव वर्ष में निम्न साक्षियों की उपस्थिति में इस न्यास-पत्र का निष्पादन किया है।

साक्षी-

1. (जयकिशन)
पु० श्री मान सिंह
264 होलम्बी कलां
दिल्ली
DL/04/054/237054

देवी राम संस्थापक

2. (लक्ष्मन सिंह)
पु० श्री मान सिंह)
264, होलम्बी कलां
दिल्ली-
DL/04/054/237094

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
4037	2008-2009	4

Ist Party न्यासकर्ता

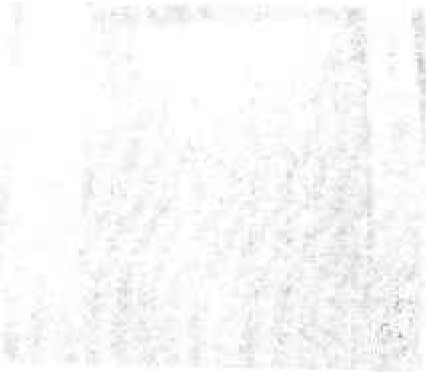

IInd Party न्यासी

Witness गवाह

Ist Party IInd Party

Ist Party न्यासकर्ता :- Devi Ram

IInd Party न्यासी :- n/a

Witness गवाह Jai Kishan, Laxman singh

Certificate (Section 60)

Registration No.4,037 in additional Book No.4 Vol No 764 on page 22 to 31 on this date 27/11/2008 day Thursday and left thumb impressions has/have been taken in my presence.

Sub Registrar
Sub Registrar VI B
New Delhi/Delhi

Date 27/11/2008